आधुनिक भारत में महिलाओं के प्रति अपराध : एक समीक्षा

9

डा. सुनीता रानी*

अपराध की जहां तक बात है तो इसका कोई धर्म, समय और स्थान से कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन अगर इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए तो ये अपने आप किसी जगह, धर्म और समय सीमा से रिश्ता जोड़ लेता है। जहां तक मेरी सोच है इसक दो मुख्य कारण हो सकते वहाँ के मनुष्यों की सोच और सुरक्षा व सोच एक ऐसी चीज है जिसको एक – दो घंटों या सालों में पैदा नहीं किया जा सकता, इसमें वक्त लगता लेकिन कुछ एसे रास्ते हमारे पास हैं जो सुधार कर सकते हैं, वो हैं सख्त कानून और सुरक्षा व भारत में यू तो हिन्दुओं की संख्या 80 प्रतिशत के आस पास है लेकिन फिर भी भारत किसी एक धर्म को समर्थन नहीं करता बल्कि सभी को समान नजर से देखता है। इसलिए भारत पूरे विश्व में मिसाल है और यही हिन्दू धर्म की पहचान है आपसी मेलजोल। भारत में किसी एक भाषा और धर्म को महत्तव नहीं दिया जाता लेकिन फिर भी लोगों में धरम के प्रति आस्था बहुत ही जादा है और ये आस्था मनुष्य को काफी हद तक बुरे कामों से दूर रखती है। अगर सचमुच मनुष्य पूरी आस्था और दिल से ऊपर वाले में विसवास रखता है तो यही चीज हमे पश्चिमी शैली से अलग करती है और मानवता के अध्याय में अलग स्थान देती है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जैसे मीडिया का गलत प्रचार, इंटरनेट का दुरपयोग, लोगे का बॉलीवुड की तरफ बढ़ता रूख और भारत ने फैला भ्रष्टाचार जिसकी जड़े बहुत दूर तक जाती हैं, कमजोर सुरक्षा उसी की पैदाइस है। भ्रष्ट नेता जब ये गंदगी की डोर खीचते हैं तो उस पर सरकार के बड़े बड़े आला अधिकारी और गुट कपड़ो की तरह लटके मिलते हैं जो उसी डोरी से भ्रष्टता के मटके से अपना पालन पोषण करते है। अगर इस भ्रष्टता की जड़ तक जया जा, तो बहुत चीज उलझी हुई मिलेंगी और पता चलेगा की किसी तरह से चीजे फांसी हुई और दूसरे चीजे इस से जुड़ी हुई हैं।

मुंबई शहरी में फेंन्सी हुक्के का जो व्यापार है वो युवा पर दोहरी मार दे रहा है। उन का आचरण तो बिगड़ ही रहा और उसके साथ नए– नए लोगों को भी खीच रहा है। इन ध ांधो पर पाबंदी है लेकिन जब भी पुलिस रैड मारती है तो ये स्थल, कदम साफ मिलते हैं, क्यूँ ? क्यूंकी, जो पुलिस रैड मरने जाती है वही उनको बोलती है की हम आ रहे हैं आप अपनी साफ वाली वर्दी पहन ले। इसलिए भारतीय समाज की कुछ चीजों को बदलना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों की सोच हीन हो चुकी है उसमे सद्भावना, प्यार और समाना के पौधे लगाना उतना ही मुश्किल जितना तेज बहते पानी मे खड़ा होना। इस लिए कुछ कदम एसे हैं जो इनको भी रोक सकते हैं। लेकिन लोगों के विचारो को नहीं बदला जा सकता इस लिए कुछ

**Guest Faculty,, Dept of Sociology, Indraprasth College Meerut*

जगह से हमको समझौता करना पड़ेगा। अगर एक लड़की शॉर्ट्स में रोड पर निकलती है तो रास्ते में खड़े और काम पर जाता हर व्यक्ति उसको घूरता है अगर कोई ये कहता है की ये कुछ ही शहरों और जगह पर होता है तो ये गलत है ये हर जगह होता है, हर मेट्रो सिटि में होता है और हर सीधा साधा और नौजवान लड़की का बाप भी यही करता। जब वो चलती हुई लड़की उसकी कुछ नहीं लगती और गोवा में तो एसे उदाहरण आए हैं जहां परिवार के रिश्ते भी तार तार हुये हैं और जिन अपराधियों के हुक सरकार में फिट है वो तो बच ही निकलते हैं। या फिर मीडिया उनको हाइलाइट ही नहीं करती। बहुत कम लोग समझेंगे लेकिन हर आदमी कहीं न कहीं इसमे दोषी है।

16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में दामिनी गैंग रेप कांड ने तथा 2013 में गुडिया रेप कांड जैसे अपराधों से भारत की विश्वस्तर पर फजीहत हो चुकी है। यह दोनों ऐसे अपराध है जिन्हे सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता है। पिछले 60 सालों में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई हैं। देश में 1953 में 6 लाख अपराध के मामलें हुए जो 2011 तक 23 लाख हो गये । इनमें 286 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।1953 में हत्या के 9802 मामले दर्ज हए जबकि 2011 में यह बढकर 34305 हो गये इनमें 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बलात्कार के 2487 मामले थे जो 2011 में 24206 हो गये इनमें 873 प्रतिशत की बढोतरी हुई अपहरण के 5261 मामले थे जो 2011 में 44664 हो गये इनमें 749 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

दिल्ली की सड़कों पर जो महिला, चलती हैं वे अपने अनुभव से जानती हैं कि राष्ट्रीय राजधानी उनके लिए बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। अब इस अहसास को **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 2012** की रिपोर्ट ने आंकड़ों से साबित कर दिया है कि अगर मुंबई (232), कोलकाता (68), बेंग्लुरु (90) और चेन्नै (94) की बलात्कार घटनाओं को आपस में जोड़ (484) दिया जाए तो भी यह दिल्ली की 706 घटनाओं से कम हैं। हालांकि दिल्ली में महिलाओं की जनसंख्या (75–76) लाख) मुंबई (85–2 लाख) से कम है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो दिल्ली में अपराध होते हैं, वे सबसे ज्यादा हैं। 2012 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने बीती 12 जून को जो अपनी रिपोर्ट जारी की, उससे मालूम होता है कि जिन 88 शहरों में महिला संबंधी अपराधों का ब्योरा लिया ग्या उनमें से कुल अपराध का 14–88 प्रतिशत दिल्ली में हो रहा था। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 5959 मामले प्रकाश में आए। कोई दूसरा शहर दिल्ली के आसपास भी नहीं है। शहरी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध में दूसरा नंबर बेंग्लुरु का है, लेकिन 6–18 प्रतिशत के साथ वह दिल्ली से बहुत पीछे है। जबकि कोलकाता का हिस्सा 5–66 प्रतिशत और मुंबई का 4–86 प्रतिशत है। हत्याकांडों में वृद्धि दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी असुरक्षित है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगया जा सकता है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाला हर 12वां अपराध बलात्कार है। इसके अतिरिक्त 2012 में दिल्ली में 3274 अपहरण के मामले सामने आए, जिनमें से आधे से ज्यादा (1787) में महिलाओं का अपहरण हुआ। अपहरण तो दिल्ली में अन्य शहरों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक है।

राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में साल 2013 के मुकाबले 2014 में 18.3 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही दुष्कर्म के मामले में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। 15 दिसंबर तक भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत साल 2014 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के 14,687 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 12,410 था।

16 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में चलती बस में हुए नृशंस दामिनी गैंगरेप कांड ने तथा 2013 में गुडिया रेप कांड जैसे अपराध के चलते तत्पश्चात हुई मौत के बाद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जोरदार राष्ट्रीय बहस हुई। खिन्न मतदाताओं के दबाव में सरकार ने बलात्कार और महिलाओं पर दूसरे हमलों से संबद्ध कानूनों को सख्त किया। कई भारतीय जो कभी विरोध–प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे थे, उन्होंने अपनी निराषा को राजधानी के केन्द्र और अन्यत्र प्रदर्शित किया। ज्यादा व्यापक तौर पर, भारत की वैश्विक छवि (व्यापक गरीबी से लेकर तकनीक कुशलता और बॉलीवुड संस्कृति के जून तक) इसकी आधी आबादी द्वारा प्रतिदिन झेले जाने वाले दबाव और धमकियों की व्याख्या से धूमिल हो गयी है।

उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ अपराध संबंधी मामलों में सजा देने की अदालतों की नीति में कठोरता की जरूरत पर जोर दिया है ताकि यह प्रतिरोधक की तरह काम कर सके। न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसे अपराधों की गंभीरता के अनुपात में आरोपियों को दी जाने वाली सजा कठोर नहीं है। हाल के वर्षों में अपराध दर, खास कर महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराध में वृद्धि के चलते अदालतों द्वारा अपराधिक सजा देना चिंता का विषय बन गया है।

प्रधान न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अगुवाई वाली एक पीठ ने एक कैब चालक तथा उसके मित्र को सजा सुनाते हुए कहा ''ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा अपनाई गई सजा की नीति कठोर होना चाहिए ताकि वह प्रतिरोधक की तरह काम कर सके।'' इस कैब चालक और उसके मित्र ने वर्ष 2007 में बीपीओ में काम करने वाली 22 वर्षीय एक कर्मी से बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। पीठ ने कहा ''चौंकाने वाली बात है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें आरोपियों को दी गई सजा उनके अपराध की गंभीरता के मुताबिक नहीं है जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर होने का खामियाजा न्याय को भुगतना पड़ता है।''

साथ ही पीठ ने कहा **''सजा की नीति का उद्देश्य यह देखना होना चाहिए कि अपराधी सजा से न बचे और पीड़ित तथा समाज को यह संतोष हो कि न्याय किया गया है।''** उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समुदाय और खास कर रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं पर ऐसे अपराध का बड़ा असर होता है। न्यायमूर्ति **एस ए बोबड़े** और न्यायमूर्ति **अरुण मिश्रा** ने बताया **''यह सच है कि बलात्कार और हत्या के किसी भी मामले से समाज हतप्रभ रह जाता है लेकिन ऐसे सभी अपराध समाज के भीतर संभवतः वितृष्णा पैदा नहीं करते। कुछ अपराध अदालत और समाज की सामूहिक चेतना को स्तब्ध कर जाते हैं।''**

दिल्ली पुलिस आयुक्त बी.एस.बस्सी ने कहा कि सुरक्षाबलों द्वारा किए गए उपायों के अलावा दिल्ली की प्रत्येक महिला को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दिल्ली पुलिस के वार्षिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान बस्सी ने कहा, ''हम सबसे अपील करते हैं कि वे हमसे हाथ मिलाएं, ताकि दिल्ली की प्रत्येक महिला को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा सके। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की प्रत्येक महिला जूडो में ब्राउन बेल्ट हो।

उन्होंने कहा, इसके लिए हम दिल्ली की मैपिंग कर रहे हैं, ताकि हम इसका चुनाव कर सकें कि किस इलाके की महिलाओं को प्रशिक्षित करना है।

पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है कि साल 2014 में दुष्कर्म के 2,069 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 1,571 था। राजधानी में छेड़छाड़ के साल 2013 के 3,345 मामलों की तुलना में 2014 में 4179 मामले दर्ज किए गए।

साल 2014 में उत्पीड़न के 1,282 मामले प्रकाश में आए थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 879 था। साल 2014 में दहेज हत्या के 147 मामले सामने आए, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 137 था।

बस्सी ने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या कम करने के लिए समाज को मानसिकता बदलने की भी जरूरत है।

पिछले दशक के आंकड़ों पर आधारित इंडिया स्पेंड के विश्लेषण के मुताबिक पिछले दशक में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कम से कम 2.24 मिलियन मामले दर्ज करे गये हैं। हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के 26 मामले या दर दो मिनट में एक शिकायत दर्ज होती है। किसी भी महिला पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से शारीरिक या मानसिक रुप से चोट पहुचाना ही "महिलाओं के खिलाफ अपराध" कहलाता है। विशेष रुप से महिलाओं के खिलाफ किया गया अपराध एवं जिसमें पीड़ित केवल महिलाएं ही बनती हैं उसे ही "महिलाओं के खिलाफ अपराध" के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत पति और रिष्तेदारों द्वारा किसी भी महिला को शारीरिक या मानसिक रुप से चोट पहुंचाना देश में सबसे अधिक होने वाला अपराध है। आंकरों के अनुसार पिछले दस सालों में आईपीसी 498 ए के तहत 909,713 मामले या यूं कहें कि हर घंटे 10 मामले दर्ज की गई है।

महिलाओं के खिलाफ बड़े अपराध :

Source: **National Crime Records Bureau**; Figures represent cases reported. **Note:** Cruelty by Husband and Relatives (Section 498 A IPC); Assault on Women with Intent to Outrage Her Modesty (Section 354 IPC); Kidnapping & Abduction of Women (Section 363,364,364A, 366 IPC); Rape (Section 376 IPC); Insult to the Modesty of Women (Section 509 IPC); Dowry Deaths (Section 304 B IPC).

धारा 354 के तहत किसी भी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर

हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना जैसी वारदातें देश में होने वाला दूसरा सबसे अधिक अपराध है। पिछले एक दशक में इस तरह के करीब 470,556 मामले दर्ज की गई है।

महिलाओं को अगवाह एवं अपहरण (315,074) करने जैसी वारदाते देश में होने वाला तीसरा सबसे अधिक अपराध है। बलात्कार (243,051), महिलाओं के अपमान (104,151) और दहेज हत्या (80,833) अन्य देश में सर्वाधिक होने वाले अपराध है।

पिछले एक दशक में दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961 के तहत कम से कम 66,000 मामले दर्ज की गई है। देश में हर घंटे महिलाओं पर पति या उसके रिश्तेदार के द्वारा अत्याचार के दस मामले दर्ज की जाती है जबकि महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने जैसी 5 वारदातें एवं अपहरण एवं बलात्कार के तीन–तीन मामले दर्ज की जाती है।

राश्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार इनके अपराधों के अलावा वर्ष 2014 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कुछ नई श्रेणियां भी जोड़ी गई है।

इनमें बलात्कार के प्रयास (4,234), आईपीसी की धारा 306 के तहत महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना (3,734) एवं घरेलू हिंसा से बचाव (426) शामिल हैं।

दिल्ली में वर्ष 2010 में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले एक साल में कम से कम 66 फीसदी महिलाओं ने दो से पांच बार यौन उत्पीड़न का सामना किया है।

आंध्रप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले

पिछले 10 सालों में आंध्रप्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले (263,839) दर्ज की गई है। देश भर में महिलाओं की लज्जा भंग करने के सबसे अधिक मामले (35,733) आंध्रप्रदेश में दर्ज की गई है जबकि पति या उनके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार के मामले (117,458) में राज्य दूसरे, लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने जैसी वारदात मामले (51,376) में तीसरे एवं दहेज हत्या मामले (5,364) में चौथे स्थान पर है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध : टॉप पांच राज्य

Source: National Crime Records Bureau- Note: Andhra Pradesh figures for 2014 are inclusive of Telangana-

आंध्रप्रदेश के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में दर्ज (239,760) की गई है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मामले पति या रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर की गई अत्याचार में मामले (152,852) दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध मामले में अपहरण (27,371) एवं दहेज हत्या मामले (4,891) में पांचवे स्थान पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 236,456 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे, 188,928 मामलों के साथ राजस्थान चौथे एवं 175,593 की आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश पांचवे स्थान पर है।

पिछले एक दशक में देश भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में करीब आधे अपराध इन पांच राज्यों में हुई है।

पिछले तीन सालों में महिलाओं के अपहरण के मामले में 264 फीसदी (करीब तीन गुना) की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में जहां महिलाओं के अपहरण के 15,750 मामले दर्ज की गई थी जबकि वर्ष 2014 57,311 मामले दर्ज की गई है। 58,953 मामलों के साथ इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है।

हत्या– महिलाओं की हत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चरित्र पर संदेह, दहेज की मांग तथा पारिवारिक कलह के कारण महिला की हत्या करने के मामले अधिक प्रकाश में आ रहे हैं। कुछ मामलों में जमीन–जायजाद को लेकर भी महिलाओं को मार दिया जाता है। हत्या के अधिकांश मामले 15 से 40 वर्ष की उम्र के दरम्या्न होते हैं।

मारपीट – घर–परिवार में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अक्सर छोटी–छोटी बातों पर उन्हें मारपीट का शिकार होना पड़ता है विशेषतः निम्न, मध्यमवर्गीय तथा निम्न वर्गीय परिवारों में महिलाओं से मारपीट अधिक होती है। पति की शराब की लत इसके लिए प्रमुख रूप जिम्मेादार हैं 20 से 45 वर्श तक की उम्र की महिलाएं अधिकतर मारपीट शिकार अधिक होती हैं।

छेड़छाड़ – स्कूल–कॉलेज के बाहर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के प्रकरण अधिक सामने आते हैं। वहां पुलिस का तैनात न होना इसका मुख्य कारण हैं। इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। 24 वर्ष से कम उम्र की युवतियां छेड़छाड़ की शिकार अधिक होती हैं।

अपहरण – नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले ज्यादा हो रहे हैं। साथ ही शादीशुदा महिलाओं का भी बहला–फुसलाकर अपहरण कर लिया जाता है। सामान्यतः 12 से 38 वर्ष तक की लड़कियॉ युवतियॉ तथा महिलाओं के अपहरण के मामले अधिक हो रहे हैं।

बलात्कार – परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों के द्वारा ही बलात्कार करने के मामले अधिक हो रहे हैं। नाबालिग लड़कियों से लेकर अधेड़ावस्थो की महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं। बलात्कातर के एक तिहाई मामले 10 से 30 की उम्र की लड़कियों तथा महिलाओं के साथ अधिक होते हैं।

आत्महत्या – अधिकतर मामले फांसी लगाने के होते हैं। इसका मुख्य कारण पति द्वारा शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करना अथवा ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ना है। दहेज की मांग भी इसका प्रमुख कारण है। 16 से 30 वर्ष की उम्र की युवतियों तथा महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले अधिक देखे जाते हैं।

दहेज हत्या – भौतिक सुख–सुविधाएं बढ़ने के साथ–साथ दहेजलोभियों की मांगे भी बढ़ती जा रही हैं। निम्न, मध्यीम वर्गीय तथा अशिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि उच्च वर्गीय परिवारों में भी दहेज हत्या के मामले अधिक हो रहे हैं।

प्रताड़ना – पुलिस थानों में मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना देने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गरीब तथा अशिक्षित वर्गों में प्रताड़ना के मामले अधिक होते हैं। शराब की लत, जुआं तथा आवारगी इसके प्रमुख कारण हैं।

महिलाओं की खरीदी–बिक्री – महिलाओं तथा युवतियों का अपहरण कर उन्हें बेचने का कृ

त्य् खूब फल–फूल रहा है। गरीबी के कारण भी यह घिनौना कृत्य बढ़ रहा है। 14 से 30 वर्ष की उम्र की युवतियों तथा महिलाओं को बेचने का घृणित धंधा तेजी से बढ़ा है। मामले का एक पक्ष यह भी है कि उन्हें खरीदने वाले पुलिस के घेरे या कानूनी सजा से बच जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पड़ताल में बात सामने आई है कि दिल्ली, आगरा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे स्थानों में अधिसूचित जनजाति (आपराधिक जनजातियों के रूप में भी जाना जाता है) जैसे कि बेड़िया, नेट, कंजर और बंजारा नबालिग लड़कियों के अपहरण में शामिल होते हैं।

यह जनजाति बच्चियों का अपहरण करने के बाद उन्हें अपनी बेटी की तरह बड़ा करते हैं और फिर डांस बार, वेश्यालयों और एस्कॉर्ट सेवाओं में काम करने के लिए मुंबई और मध्य पूर्व के लिए भेजते हैं।

पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बलात्कार का मामले (34,143) दर्ज की गई है। 19,993 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे, 19,894 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे एवं 18,654 आंकड़ों के साथ राजस्थान चौथे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने के सर्वाधिक मामले (70,020) दर्ज की गई है।

संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा एक 2013 वैश्विक समीक्षा के अनुसार, विश्व स्तर पर करीब 35 प्रतिशत महिलाओं ने या तो शारीरिक या यौन अंतरंग साथी हिंसा या गैर साथी यौन हिंसा का अनुभव किया है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राष्ट्रीय हिंसा पर की गई अध्ययन कहती है कि करीब 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपने अंतरंग साथी से उनके जीवन में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।

घरेलू हिंसा :

घरेलू हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई हैं। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि कोई महिला आवाज मुखर करती है तो इसका तात्पर्य होता है अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिवर्तन की बात करना। प्राय देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनों–दिन बढ़ते जा रहे हैं। परिवार तथा समाज के संबंधों में व्याप्त ईष्या द्वेश, अहंकार, अपमान तथा विद्रोह घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। प्रकृति ने महिला और पुरूष की शारीरिक संरचनाएं जिस तरह की हैं उनमें महिला हमेशा नाजुक और कमजोर रही है, वहीं हमारे देश में यह माना जाता रहा है कि पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता है। इसी तारतम्यण में वर्ष 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं, बच्चों अथवा वृद्धों को कुछ राहत जरूर मिल गयी है।

राज्य महिला आयोग –कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त। है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला

संरक्षण अधिनियम 2005 उसे घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।

आधारषिला (एन.जी.ओ.) – परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पींड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्ममक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।

भारत में घरेलू हिंसा :

दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं।

पालन–पोषण में पितृसत्ता् अधिक महत्व रखती है इसलिए लड़की को कमजोर तथा लड़के को साहसी माना जाता है। लड़की स्वतंत्र व्यक्तित्व को जीवन की आरम्भ अवस्था में ही कुचल दिया जाता है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण निम्न माने जाते हैं

1. समतावादी शिक्षा व्यावस्था् का अभाव। 2. महिला के चरित्र पर संदेह करना। 3. इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुष्प्रभाव। 4. महिला को स्वामवलम्बी बनने से रोकना।

महिलाओं तथा बच्चों पर घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके कारण महिलाओं के काम तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में आपसी रिश्तों और आस–पड़ौस के साथ रिश्तों व बच्चों पर भी इस हिंसा का सीधा दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे –

• घरेलू हिंसा के कारण देहज मृत्यु, हत्या और आत्महत्या बढ़ी हैं। वेश्यातवृत्ति की प्रवृत्ति भी इसी कारण बढ़ी है।

• महिला की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा होती है। महिलाओं का कार्य क्षमता घटती है, साथ ही वह डरी–डरी भी रहती है। परिणामस्वारूप प्रताड़ित महिला मानसिक रोगी बन जाती है जो कभी–कभी पागलपन की हद तक पहुंच जाती है।

• पीडित महिला की घर में द्वितीय श्रेणी की स्थिति स्थापित हो जाती है।

पुलिस की भूमिका :

• घरेलू हिंसा के प्रकरणों में कई बार पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती, सिर्फ रोजनामचे में लिखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रताड़ित महिलाओं को एफ.आई.आर. की नकल नहीं दी जाती। मांगने पर अकारण परेशान किया जाता हैं। आंकडे बढ़ जाएंगे इस कारण प्रकरण पंजीबद्ध करने से पुलिस बचती है।

• पति द्वारा महिलाओं को पीटने अथवा मानसिक यंत्रणा देने को पुलिस बड़ा मुद्दा नहीं मानती। अक्सर उसका कहाना होता है कि 'पति ने ही तो पीटा है ऐसी क्या बात हो गई, पति मारता है तो प्यार भी करता है।' यह कहकर पुलिस प्रताडित महिला को टाल देती है। चूंकि महिला की शारिरिक चोट पुलिस को दिखाई नहीं देती इसलिए भी वह उसे गंभीरता से नहीं लेती।

• थाने में सिर्फ एक यो दो महिला सिपाही पदस्था की जाती हैं। महिला या घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों में प्रायः उनका हस्तक्षेप कम कर दिया जाता है, क्योंकि उनका अधिकारी सहित बहुमत पुलिस का है। यही कारण है कि महिला पुलिसकर्मी भी घरेलू हिंसा की शिकार महिला की ज्यादा मदद नहीं कर पाती हैं। कई बार तो उनका ही शोषण कर लिया जाता है।

• थाना स्तर पर संवेदनशील लोग नहीं हैं।

• पुलिसकर्मी रिश्वत लेकर प्रताड़ित महिला को समझौते के लिए विवश करते हैं अथवा प्रकरण को कमजोर कर देते हैं।

• पुलिस का कहना होता है कि दहेज तथा घरेलू हिंसा के झूठे प्रकरण ही अधिक होते हैं।

• 98 प्रतिशत मामले में पुलिस बिना किसी प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती है अथवा समझौता करा देती है। न तो इस समझौते में घटना का ब्यौरा होता है और न ही पति द्वारा यह लिखाया जाता है कि भविष्य, में वह ऐसा नहीं करेगा।

परिवार व अन्य अदालतें :

• महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने अथवा दोषियों को उपयुक्त सजा दिलवाने के लिए पारिवारिक अदालतों का गठन सन् 1984 में किया गया था। तब यह माना था कि अब महिला को घरेलू हिंसा से राहत मिल जाएगी।

• इन अदालतों में कहा जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है पर सारे कागज वकील ही बनाते हैं और हर समय जज यही कहते हैं कि तुम्हारे वकील कहां हैं ? उनको लाओ। यह एक बड़ा विरोधाभास है, इन अदालतों की कथनी और करनी में।

• सोचा गया था कि इन अदालतों में मामले जल्दी निबट जाएंगे पर इनमें भी समय बहुत लगता है।

• गुजारा भत्ता के आदेश हो जाते हैं पर उनका पालन नहीं होता।

• इन अदालतों में गवाहों पर बहुत जोर रहता है। पीड़िता के लिए गवाह जुटाना मुश्किल होता है।

• अदालत में जो काउंसलर लगे हुए हैं उनके चयन में पारदर्षिता नहीं है। वे अपने विषय के विशेषज्ञ भी नहीं हैं।

• पारिवारिक अदालतों के मामलों को लकर कोई अध्ययन नहीं हुआ है कि वहां प्रताड़ित महिलाओं को किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

• अच्छे वकील फीस अधिक मांगते हैं इस कारण पीडित महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है।

जाति पंचायतें :

परिवार–समुदायों, समुदायों की जाति पंचायतों का गांव में अधिक और शहरों में कम प्रभाव है। इनसे जातिवाद बढ़ा है। यह पंचायतें महिलाओं के हक में नहीं हैं।

• इन अदालतों में प्रायरू प्रताड़ित महिलाओं को नहीं बुलाया जाता बल्कि उनके बारे में एक पक्षीय निर्णय ले लिया जाता है। हर जगह पुरूष प्रधान जाति पंचायतें ज्यादा हैं।

• जहां महिलाओं की संस्थाएं सक्रिय नहीं हैं वहां तो घरेलू हिंसा को लेकर हुए फैसले पूरी तरह एक पक्षीय रहे हैं।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 (The Protection of Women from Domestic Violence Rules 2006) :

घर में पुरूष के साथ रह रही महिला को यदि पीटा जाता है, धमकी दी जाती है अथवा प्रताड़ित किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार है। ऐसी प्रताड़ित महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत और सहायता प्राप्ता कर सकती है।

घरेलू हिंसा के उदाहरण :

(1) शारिरिक हिंसा

1. मारपीट करना। 2. थप्पड़ मारना। 3. दांत से काटना। 4. लात मारना। 5. मुक्का मारना। 6. धकेलना। 7. किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना।

(2) लैंगिक हिंसा

1. बलात लैंगिक मैथुन। 2. अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्ली्ल तस्वीरों या को देखने के लिए विवश करना। 3. दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने, अपमानित या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य कार्य अथवा जो प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकति का हो।

(3) मौखिक और भावनान्तम हिंसा

1. अपमान 2. गालियॉ देना। 3. चरित्र और आचरण पर दोषारोपण। 4. पुत्र न होने पर अपमानित करना। 5. दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान। 6. नौकरी करने से निवारित करना। 7. नौकरी छोड़ने के लिये दबाव डालना। 8. घटनाओं के सामान्य क्रम में किसी व्यवक्ति से मिलने से रोकना। 9. विवाह नहीं करने की इच्छ् पर विवाह के लिये विवश करना। 10. पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना। 11. किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना। 12. आत्महत्या करने की धमकी देना। 13. कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार।

(4) आर्थिक हिंसा

1. बच्चों के अनुरक्षण के लिये धन उपलब्ध न कराना। 2. बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयॉ उपलब्ध न कराना। 3. रोजगार चलाने से रोकना अथवा उसमें विध्न डालना। 4. रोजगार करने के अनुज्ञात न करना। 7. घर से निकलने को विवश करना।

महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का वैधानिक स्वरुप और उत्पीड़क व्यक्ति पर सजा का प्रावधान

क्र. उत्पीड़ित महिला के साथ हिंसात्मक व्यवहार (स्वरूप)वैधानिक अपराध
वैधानिक संभावित धारा उत्पीड़क के प्रति सजा का प्रावधान

क्र.	उत्पीड़ित महिला के साथ हिंसात्मक व्यवहार (स्वरूप)	वैधानिक अपराध	वैधानिक संभावित धारा	उत्पीड़क के प्रति सजा का प्रावधान
1	मानसिक हिंसा– बेइज्जत करना, ताने देना, गाली–गलौच करना, झूठा आरोप लगाना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करना एवं मायके से न बुलाना इत्यादि हिंसा की धमकी– शारीरिक प्रताड़ना, तलाक एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करने की धमकी देना।	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मानसिक या शारीरिक कष्ट देना।	498	3 साल
2	झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करना।		499	2 साल
3	साधारण शारीरिक हिंसा –चांटा मारना, धक्का देना और छीना झपटी करना।	तामाचा मारना, चोट पहुंचाना	319	3 माह
4	साधारण शारीरिक हिंसा – लकड़ी या हल्की वस्तु से पीटना, लात मारना, घूंसा मारना, माचिस या सिगरेट से जलाना।	आत्महत्या के लिए दबाव डालना, साधारण या गंभीर हिंसा	306	3साल
5	अत्यंत गंभीर हिंसा– गंभीर रूप से पीटना जिससे हड्डी टूटना या खिसकना जैसी घटनाएं शामिल है। गंभीर रूप से जलाना, लोहे की छड़, धारदार वस्तु या भारी वस्तु से वार करना।	गंभीर हिंसा , लोहे की छड़, तेज धार वस्तु का प्रयोग।	232	7 साल

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट ने कई राज्यों के दावों की पोल खोल दी। अपराध के मामले में उत्तर भारत के राज्यों को इस रिपोर्ट ने जिस तरह से आईना दिखाया है, वह गौर करने वाली बात है।

देश में सबसे ज्यादा हत्याओं के लिए उत्तर प्रदेश अव्वल है। पुलिस फायरिंग में पहले नंबर पर कश्मीर घाटी रही। बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में मध्य प्रदेश ने सबको पीछे छोड़ दिया। देशभर में दर्ज हुए कुल आपराधिक मामलों में मध्य प्रदेश राज्य को चौथा नंबर मिला है।

क्र.	उत्पीड़ित महिला के साथ हिंसात्मक व्यवहार (स्वरूप)	वैधानिक संभावित धारा	उत्पीड़क के प्रति सजा का प्रावधान
6	दहेज मृत्यु	304	आजीवन कारावास
7	महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करना।	54	2 साल
8	अपहरण, भगाना या महिला को शादी के लिये विवश करना।	366	10 साल
9	नाबालिक लड़की को कब्जे में रखना	366	10 साल
10	बलात्काार (सरकारी कर्मचारी द्वारा या सामूहिक बलात्कार अधिक गंभीर माने जाते हैं)	376	2–10 साल की उम्र कैद
11	पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करना	494	7 साल
12	व्यीभिचार	497	5 साल
13	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना	509	1 साल

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 35 षहरों के तुलनात्मक आँकड़ों में राजधानी दिल्ली सभी अपराधों के तुलनात्मक आँकडों में पहले नंबर पर रही।

35 बड़े शहरों के अपराध रिकॉर्ड के तुलनात्मक अध्ययन के मुताबिक इंदौर को पहला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को तीसरा स्थान मिला है।

महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के अपराधों में त्रिपुरा पहले नंबर पर रहा। उसके बाद दूसरे व तीसरे नंबर पर दिल्ली और महाराष्ट्र रहे।

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय :

1– महिला विद्यार्थियों की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों, कालेजों में व्यतिक्रम पर नजर रखने के लिए अपराध संभावित क्षत्रों का पता लगया जाना चाहिए और एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। पुलिस अवसंरचना से पूरी तरह सज्जित पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती ऐसे क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

2– महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में किसी भी तरह का विलम्ब नहीं होना चाहिए।

3– प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्तों को पकड़ने के पूरे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा किया जा सके।

4– महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों के हेल्प–लाइन नम्बरों को बड़े–बड़े अंकों में अस्पतालों/स्कूलों /कालेजों के परिसरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

5– पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस प्रकोष्ठ और पृथक रूप से महिला पुलिस स्टेशन, आवश्यकतानुसार स्थापित किए जाने चाहिए।

6– जिन पुलिस पदाधिकारियों को महिलाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी ग्ई है उन्हें पर्याप्त रूप से सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

7–महिलाओं के प्रति अत्याचार से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मिकों को विशेष कानूनों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रवर्तन पहलू पर पर्याप्त रूप से जोर दिया जाना चाहिए ताकि इसे सुचारु बनाया जा सके।

8– राज्य पुलिस बल में व्यापक रूप से महिला पुलिस पदाधिकारियों की भर्ती की जानी चाहिए।

9– महिलाओं के हित संबंधी कार्य करने वाली पुलिस और एनजीओ के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

10– स्थानीय पुलिस को प्रभावित क्षेत्र और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के स्थानीय क्षेत्रों में गृत लगने की व्यवस्था करनी चाहिए। डीएम और एसपी के आवधिक दौरों से इन वर्गों के लोगों में रक्षा और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी।

11– अपराध के सदमे से उबरने के लिए पीड़ितों के साथ–साथ उनके परिवार को पेशेवर परामर्शदाताओं के माध्यम से परामर्श दिए जाने की जरुरत है।

देश प्रगति कर रहा है, सड़कें बन रही हैं और उस पर विदेशी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। महिलाओं के उत्थान और बेटी बचाने की बात भी हो रही है, पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़े देश को आईना दिखा रहे हैं। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हम यह क्या कर रहे हैं? इस बात पर विचार करना जरूरी है। प्रापर्टी के झगड़ों से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे! जिस देश में प्रतिदिन 239 पुरुष और 130 महिलाएं आत्महत्या कर रहे हैं। यह सामाजिक रूप से विचार करने की जरूरत है।

भारतीय नारियो को चाहिए के वो आत्म रक्षा के लिए दांव पेंच सीखने और बॉलीवुड के उन कलाकारो को अनुशरण करना छोड़े जिन से एक भी अच्छा गुण हासिल न हो। मीडिया को उन चीजों को हाइलाइट करना चाहिए जिन से कुछ सीखने को मिले राखी सावंत, मालिका शेरावत और सनी लियोने जैसे लोगे को हाइलाइट करने से मीडिया कोन सा अच्छा संदेश देश वाले को दे सकते हैं जब हॉकी का एक मैच होता तो उसका प्रसारण टीवी पर देखने को नहीं मिलता एसा क्यूँ है आखिरकार हॉकी हमारा नेषनल गेम है आप उन चीजों को

दिखाते हैं जिन मे नग्नता है। और हमारी नारियो को चाहिए के वो वही फैशन अपनाय जो उनको और सुशील बनाये उन्हे और सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है वो पहले से ही सुंदर है और इतिहास प्रतीक है वो परिवार मे ऊंचा स्थान रखती हैं। उनको पष्चिमी स्भ्यता से बचना चाहिए जिनके पास कभी अच्छी संस्कृति थी ही नहीं। आप उनका अनुसरण क्यूँ करती हो इतना ही संदेश ही लड़को के लिए भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- *भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट, भाग 4, "महिला एवं बाल– विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय" नई दिल्ली, 1995 – 96।*
- *निषांत सिंह – "भारत में अपराध एक विश्लेषण"* Omega Publications *– 2008*
- *"राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट" 12 जून 2012।*
- *राष्ट्रीय पोर्टल विषयवस्तु प्रबंधन दल, द्वारा समीक्षित 10–02–2011 नागरिक।*
- *http://www.indiaspendhindi.com/cover-story/*
- *''प्रभासाक्षी समाचार पत्र'' 10 मई 2015, नई दिल्ली।*
- *दक्षिण एशियाई ब्यूरो , "क्राइम अगेन्स्ट वूमेनः थ्री ट्रैजेडीज ऐंड द कॉल फोर रिफोर्म इन इंडिया" द वॉल स्ट्रीट जर्नल और हार्परकॉलिन्स ने 2013।*
- *National Crime Records Bureau- Note: Andhra Pradesh figures for 2014 are inclusive of Telangana-*
- *संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट।*
- *समाचार पत्र ''इंडिया स्पेंड'' 16 सितंवर 2015।*
- *''देशबन्धु'' पत्र , 2 जनवरी 2015।*
- ***"राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट"** Figures represent cases reported. Note: Cruelty by Husband and Relatives (Section 498 A IPC); Assault on Women with Intent to Outrage Her Modesty (Section 354 IPC); Kidnapping & Abduction of Women (Section 363,364,364A, 366 IPC); Rape (Section 376 IPC); Insult to the Modesty of Women (Section 509 IPC); Dowry Deaths (Section 304 B IPC).*